

अनुबंध - ॥

पीआई के अंतर्गत पात्र एफ़पीआई के लिए केवाईसी दस्तावेज़

दस्तावेज़ का प्रकार		एफ़पीआई का प्रकार		
		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
संस्था के स्तर पर	गठन संबंधी दस्तावेज़ (संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, निगमन प्रमाणपत्र आदि.)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	अनिवार्य (पते का उल्लेख करते हुए मुख्तारनामा {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य (पते का उल्लेख करते हुए मुख्तारनामा पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य मुख्तारनामे के अतिरिक्त
	पैन) <sup>40</sup>	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	वित्तीय डाटा	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	अनिवार्य
	सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	बोर्ड का संकल्प @@	छूट दी गई है*	अनिवार्य	अनिवार्य
वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशक/ भागीदार/ ट्रस्टी/ आदि)	सूची	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	संस्था के पत्रशीर्ष पर घोषणा*, जिसमें पूरा नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि हो या फोटो पहचान प्रमाण जमा करना।

	पते का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट दी गई है	छूट दी गई है	छूट दी गई है*
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	सूची और हस्ताक्षर	अनिवार्य - ग्लोबल अभिरक्षक को पीओए के मामले में ग्लोबल अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची दी जा सकती है	अनिवार्य - ग्लोबल अभिरक्षक को पीओए के मामले में ग्लोबल अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची दी जा सकती है	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट दी गई है	छूट दी गई है	छूट दी गई है*
अंतिम लाभार्थी स्वामी (यूबीओ)	सूची	छूट दी गई है *	अनिवार्य ("25% से अधिक यूबीओ नहीं" घोषित कर सकते हैं)	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट दी गई है*	छूट दी गई है*	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट दी गई है	छूट दी गई है	छूट दी गई है*

\*खाता खोलते समय आवश्यक नहीं। तथापि, संबंधित एफपीआई यह घोषणापत्र जमा करेंगे कि विनियामक/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज़/दस्तावेजों को बैंक के पास जमा करा दिया जाएगा।

@@एसे न्यायक्षेत्र के एफपीआई, जहाँ बैंक खाता खोलने के लिए बोर्ड संकल्प पारित करना आदि प्रचलित नहीं है, ग्लोबल अभिरक्षक/स्थानीय अभिरक्षक को बोर्ड संकल्प के बदले में दिया गया मुख्तारनामा" जमा कर सकते हैं।

श्रेणी	पात्र विदेशी निवेशक
I.	सरकार और सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक, जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सरकारी एजेंसियां, सॉवरीन वेल्थ फंड, अंतरराष्ट्रीय/ बहुपक्षीय संगठन/ एजेंसियां
II.	<p>क. उपयुक्त रूप से विनियमित विस्तृत आधार वाली निधियाँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, निवेश न्यास, बीमा/ पुनर्बीमा कंपनियाँ/ अन्य विस्तृत आधार वाली निधियाँ आदि</p> <p>ख. उपयुक्त रूप से विनियमित संस्थाएं, जैसे बैंक, आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ, निवेश प्रबन्धक/ परामर्शदाता, पोर्टफोलियो प्रबन्धक आदि</p> <p>ग. विस्तृत आधार वाली निधियाँ जिसके निवेश प्रबंधक उपयुक्त रूप से विनियमित हैं।</p> <p>घ. विश्वविद्यालय निधियाँ और पेंशन निधियाँ</p> <p>ड. विश्वविद्यालय से संबंधित एंडोमेंट जो पहले से सेबी के पास एफआईआई/ उप लेखा के रूप में पंजीकृत हैं।</p>
III.	अन्य सभी पात्र विदेशी निवेशक जो भारत में पीआईएस रूट के अंतर्गत निवेश कर रहे हैं और श्रेणी I और II के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, जैसे कि एंडोमेंट, धर्मादाय समितियाँ/ न्यास, फ़ाउंडेशन, निगमित निकाय, न्यास, पारिवारिक कार्यालय आदि।

<sup>40</sup>20 अप्रैल, 2018 के संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया। हटाया गया भाग इस प्रकार पठित है: "कार्ड"